भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 759

दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

759. श्री अ. मनि:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में वर्तमान में कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है और ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच इन केंद्रों की अनुमानित पहुंच कितनी है;

(ख) स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और कार्यकलापों के लिए पर्याप्त जगह जैसी बुनियादी सुविधाओं वाले आंगनवाड़ी केंद्रों का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या आंगनवाड़ी में बुनियादी ढांचे और संसाधनों में सुधार के लिए सरकार के पास कोई सिफारिश लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस प्रकार मंत्रालय आवश्यक सुविधाओं की कमियों को दूर कर रहा है;

(घ) आईसीडीएस के तहत प्रभावी रूप से सेवाएं देना सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के विशेष रूप से बाल पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण पहल का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): भारत सरकार ने कुपोषण के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी है और पोषण से संबंधित विभिन्न पहलुओं का समाधान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से कई योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। आंगनवाड़ी सेवाओं और पोषण अभियान के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत कार्यकलापों को पुनर्गठित कर 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' (मिशन पोषण 2.0) के रूप में एकीकृत किया गया है। वर्तमान में देश भर में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्य-वार सूची **अनुलग्नक -I में** दी गई है।

आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ पेयजल सुविधाओं और शौचालयों के लिए वित्त पोषण को क्रमशः 10,000/- रुपये से बढ़ाकर 17,000/- रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र और 12,000/- रुपये से बढ़ाकर 36,000/- रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र करना शामिल है। पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2024 तक 11,47,213 आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध है और 9,16,105 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत प्रति वर्ष 10000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से पांच वर्षों की अवधि में 50000 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण करने का प्रावधान है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के साथ तालमेल बिठाते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए लागत मानदंड 7 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र से संशोधित कर 12 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र कर दिया गया है जिसमें 8.00 लाख रुपये एमजीएनआरईजीएस के तहत, 2.00 लाख रुपये 15वें वित्त आयोग (एफसी) (या किसी अन्य अबद्ध निधि) के तहत और 2.00 लाख रुपये एमडब्ल्यूसीडी द्वारा प्रति आंगनवाड़ी केंद्र निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात में केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझा किए जाएंगे। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस), ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) इत्यादि से धनराशि प्राप्त करना जारी रखें।

15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर पोषण वितरण तथा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के

तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किया जाएगा। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन की स्थापना, पोषण वाटिका, ईसीसीई और बाला (बीएएलए) पेंटिंग प्रदान करके पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचे से सुसज्जित किया गया है। आज की तारीख में, सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नयन के लिए स्वीकृत कुल आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या 1,70,337 है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना किराए पर चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को पास के उन प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित करें जहां जगह उपलब्ध है।

इसके अलावा, सरकार ने एक कार्यकर्त्री वाले सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को एक कार्यकर्त्री और एक सहायिका के साथ पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत करने का भी निर्णय लिया है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को कुशल निगरानी और सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्टफोन के प्रावधान के साथ तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन पोषण ट्रैकर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल बनाता है। इससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार होता है और साथ ही उन्हें आंगनवाड़ी में सभी कार्यकलापों की वास्तविक समय पर निगरानी करने की सुविधा मिलती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के अलावा, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को भी स्मार्टफोन प्रदान किए जाते हैं। इसी तरह, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को डेटा रिचार्ज सहायता दी जाती है।

कुपोषित बच्चों की पहचान करने और समय पर हस्तक्षेप करने के लिए विकास मापदंडों की नियमित निगरानी आवश्यक है। इसलिए, आंगनवाड़ी केंद्रों को इन्फैंटोमीटर, स्टेडियोमीटर, शिशु वजन मापने वाला तराजू, मां और बच्चे जैसे विकास निगरानी उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।

(घ) और (ङ): सरकार ने कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से 10 मई, 2023 को पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी) पहल शुरू की है तकि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को छह साल से कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा तथा पोषण सेवा प्रदान करने की क्षमता क्षमता बढ़ाई जा सके।

इस मंत्रालय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को सशक्त बनाने और दिव्यांग बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए इष्टतम शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत दो पाठ्यक्रम रूपरेखाएं तैयार की हैं - "नवचेतना - यह जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था उत्प्रेरण के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा" और "आधारशिला- यह 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम" है।

दिनांक 27.11.2024 तक पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए प्रोटोकॉल पर देश भर में कुल 23,411 राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (सीडीपीओ, पर्यवेक्षकों और अतिरिक्त संसाधन व्यक्तियों) और 37,732 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है।

*****

अनुलग्नक- I

"आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम" के संबंध श्री मणि ए द्वारा 29.11.2024 **को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या** 759 **के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।**

राज्य-वार संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों का विवरण

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**राज्य के अनुसार कार्यशील आंगनवाड़ी केन्द्र**
1	आंध्र प्रदेश	55607
2	अरुणाचल प्रदेश	6225
3	असम	62093
4	बिहार	114968
5	छत्तीसगढ़	52382
6	गोवा	1261
7	गुजरात	53065
8	हरियाणा	25962
9	हिमाचल प्रदेश	18925
10	झारखंड	38515
11	कर्नाटक	65931
12	केरल	33120
13	मध्य प्रदेश	97329
14	महाराष्ट्र	110516
15	मणिपुर	11523
16	मेघालय	6162
17	मिजोरम	2244
18	नागालैंड	3980
19	ओडिशा	74192
20	पंजाब	27314
21	राजस्थान	61885
22	सिक्किम	1308
23	तमिलनाडु	54449
24	तेलंगाना	35700
25	त्रिपुरा	10222

26	उत्तर प्रदेश	189021
27	उत्तराखंड	20060
28	पश्चिम बंगाल	119481
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	720
30	चंडीगढ़	450
31	दादरा और एन हवेली एवं दमन और दीव	405
32	दिल्ली	10897
33	जम्मू एवं कश्मीर	28426
34	लद्दाख	1173
35	लक्षद्वीप	59
36	पुद्दुचेरी	855
कुल		**1396425**

****